प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 87/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकारों की रूपरेखा' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 30 अक्टूबर 2024 को "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकारों की रूपरेखा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2024 और प्रति-टिप्पणियों के लिए 27 नवम्बर 2024 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियों को प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने के लिए हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान मे रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को क्रमशः 27 नवम्बर 2024 और 4 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। समय विस्तार के किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियाँ अधिमानतः ईमेल द्वारा advbcs-2@trai.gov.in तथा jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएँ), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 19/11/2024

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा